भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3791
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 24 मार्च, 2025
03 चैत्र, 1947 (शक)

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किलों और स्मारकों में अतिक्रमण की घटनाएं

3791. श्री अनिल यशवंत देसाई:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के संरक्षणाधीन किलों और स्मारकों की स्थानवार संख्या सहित उनका ब्यौरा क्या है;
(ख) कितने किलों और स्मारकों पर अवैध और अनधिकृत कब्जा है;
(ग) ऐसे अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार द्ववारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) उन किलों/स्मारकों का ब्यौरा क्या है जहां सरकार अतिक्रमण हटाने में असमर्थ है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): देश में राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किलों सहित 3698 स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष हैं। ब्यौरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वेबसाइट https://asi.nic.in पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग): किलों सहित कुछ स्मारकों और स्थलों पर अतिक्रमण किया गया है। संरक्षित स्मारकों और स्थलों में अतिक्रमणों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 में अंतर्विष्ट उपबंधों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार हटाया जाता है। अतिक्रमणों को रोकने तथा हटाने के लिए मंडलों के प्रभारी अधीक्षण पुरातत्वविद्दों को सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के तहत बेदखली नोटिस/आदेश जारी करने के लिए संपदा अधिकारी के अधिकार दिए गए हैं। वे प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के उपबंधों और नियम 1959 के तहत कारण बताओं नोटिस जारी करने के लिए भी प्राधिकृत हैं। जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट को ऐसे अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश दिया जाता है। अतिक्रमणों को रोकने और हटाने में संबंधित राज्य सरकार/पुलिस प्राधिकारियों से भी समय-समय पर मदद मांगी जाती है। इसके अलावा, देश भर में चुनिंदा स्मारकों/स्थलों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए नियमित पहरा और निगरानी स्टॉफ के अतिरिक्त निजी सुरक्षा कार्मिक तथा केंद्रीय औद्यौगिक सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है।

(घ): उपर्युक्त प्रक्रियाओं को लागू किया जा रहा हैं। तथापि, मामले से जुड़ी जटिलताओं और कानूनी मुद्दों के कारण अतिक्रमणों को हटाने की प्रक्रिया में कभी-कभी काफी समय लग जाता है।

*****